न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 389/2015 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थीगण :–

1.रूगनाथ पुत्र पूनमा जाति विश्नोई निवासी ढाकों का तला निवासी ढाकों का तला तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1.उमानत पत्नि आमू 2. कासम पुत्र दूरा 3. खातु पत्नि दूरा 4. जीया पुत्र आमू 5. मुबारक पुत्र दूरा 6. मेहरा पत्नि कबूल 7. रोशन पुत्र कबूल 8. सकूर पुत्र दुरा 9. सुभानी पुत्री दुरा 10. सलीम पुत्र हमीर 11. सुहिब पुत्र दुरा 12. सिद्धिक पुत्र हमीर 13. हासम पुत्र दुरा 14. आचार पुत्र कबूल जातियान मुसलमान निवासी ढाकों का तला तहसील धनाऊ 15. सगरा पुत्र खेता जाति विश्नोई निवासी सरस्वती नगर तहसील धनाऊ 16. शाखा प्रबन्धक बी.एल.डी.बी. बैक शाखा धोरीमना 17. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा भूणिया 18. मलूक पुत्र ईसान जाति मुसलमान निवासी ढाको का तला तहसील धनाऊ

वकील प्रार्थी :– श्री मोहनलाल खिलेरी

वकील विप्रार्थी :– श्री बाबूलाल विश्नोई

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

निर्णय

दिनांक 5/7/25

प्रार्थी रूगनाथ पुत्र पूनमा जाति विश्नोई निवासी ढाकों का तला निवासी ढाकों का तला तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी/संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का खेत मौजा ढाको का तला पटवार हल्का नवातला राठौड़ान, तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर में खसरा नं. 492/296 रकबा 26.2722 हैक्टेयर का आया [illegible] है। प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की जोत में जाने हेतु नया मार्ग चाहा गया है। प्रार्थी [illegible] विप्रार्थीगण सं. 1 से 15 के खातेदारी के खेत मौजा सरस्वती नगर खसरा सं. 408/[illegible] रकबा 2.99137 हैक्टेयर व मौजा ढाको का तला के खसरा सं. 364/291 रकबा 10.6999 हैक्टेयर में से चल[illegible]ड़क मार्ग तक आने जाने के लिए रास्ता दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.07.22 17:28:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि. नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण सं. 1, 2, 4 से 9, 11, 13, 14 के नोटिस बाद तामिल बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी सं. 3, 10, 12, 18 की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह राठौड़ उपस्थित होकर वकालतनामा मय जवाब व विप्रार्थी सं. 15 स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया। विप्रार्थी सं. 3,10,12,18 व 15 द्वारा अपने जवाब में प्रस्तावित रास्ते हेतु भूमि निःशुल्क देने का निवेदन किया गया। प्रकरण में चाहे गये रास्ते की मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा गया। तहसीलदार धनाऊ से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई।

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण व विप्रार्थी सं. 3,10,12,18 उपस्थित हुए। प्रार्थी व विप्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण के खेत से गांव, आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थी की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है वो न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है उसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	408/289	2.9137	बा.दो.	20 फीट	0.0647 हैक्टेयर	सरस्वती नगर	सगरा पुत्र खेता कौम विश्नोई सा. देह खातेदार
2	364/291	10.6999	बा.दो.	20 फीट	0.1133 हैक्टेयर	ढाकों का तला	आचार रोसन पि. कबूल मेहरा पनि कबूल मलूक पुत्र ईसान सलीम सदिक पि. हमीर सकुर सुहिब हासम कासम मुबारक पि. दुरा सुमानी पुत्री दुरा खातु पत्नि दुरा जीया पुत्र आमू उमानत पत्नि आमू कौम मुसलमान सा. देह खातेदार

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.07.22 17:28:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में अनुसार प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान के अंदर से जो रास्ता दिया जाना है वह आंशिक नक्शा में बरंग लाल से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीगण द्वारा देय होगी और प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में बरंग लाल 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में बरंग लाल दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को भुगतान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.07.22 17:28:48 IST
Reason: SelfAttested

कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी। क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''**रास्ता**'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।
5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा में बरंग लाल दिए जाने का आदेश आज दिनांक 04.07.2025 को दिया जाता है। नियमानुसार निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.07.22 17:28:48 IST
Reason: SelfAttested

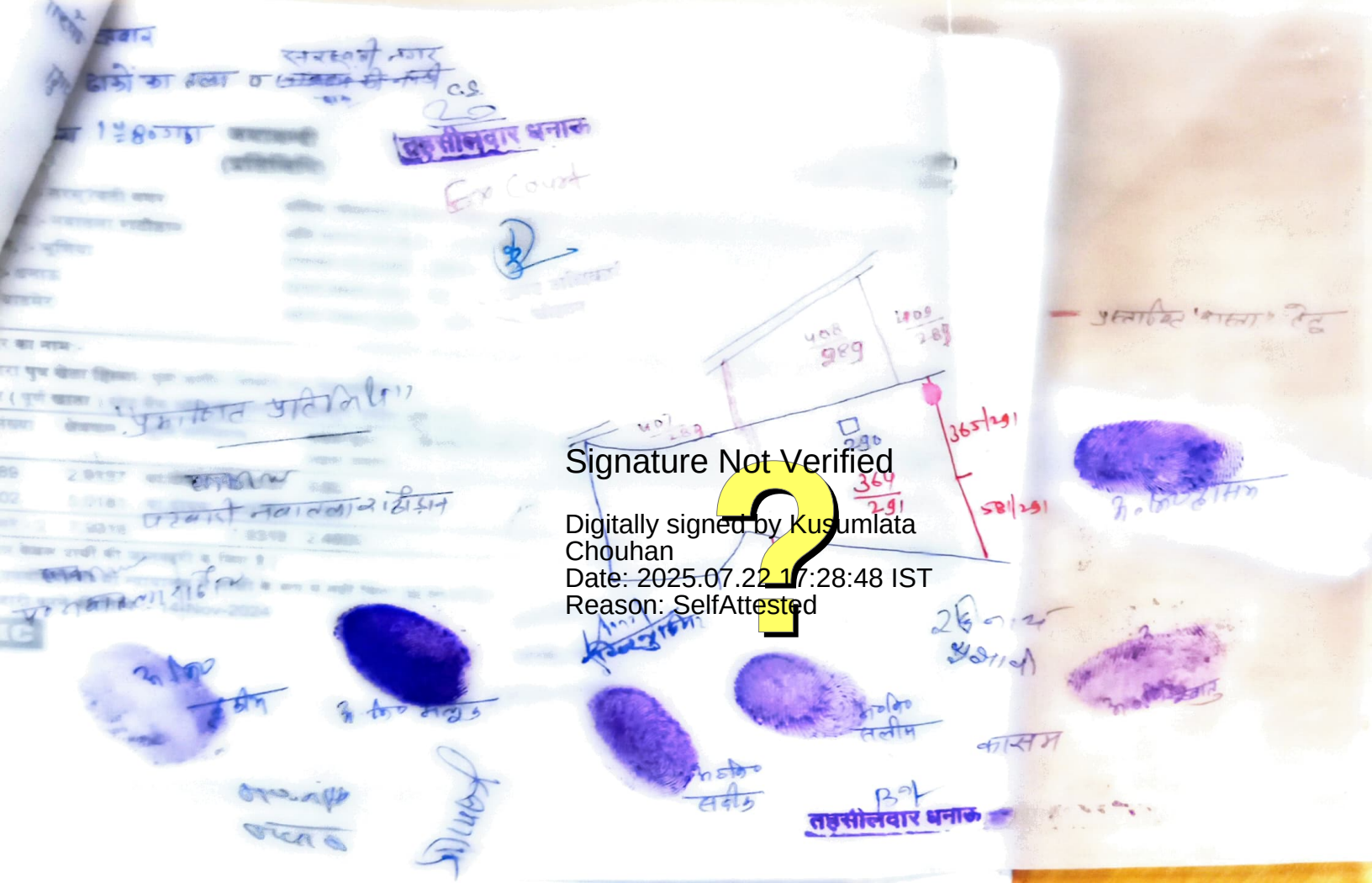

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.07.22 17:28:48 IST
Reason: SelfAttested